2019-2020

Annual Progress Report

Manav Kalyan Seva Samiti,
Karai, PO & Tehsil Chopal Distt. Shimla,
Himachal Pradesh - 171210
2019-2020

संस्था का संक्षिप्त परिचय

विकास खण्ड चौपाल का समूचा क्षेत्र ग्रामीण, पहाड़ी व अति दुर्गम है जो कि पहले से ही आधुनिक सुविधाओं से वंचित रहा है। यहां आय वर्धन के कोई साधन न होने के कारण लोगों को गरीबी व बेरोज़गारी का समाना करना पड़ता है। इन तथ्यों को मध्यनज़र रखते हुए वर्ष 1980 में इस क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र के कल्याण एवं विकास हेतू एक ऐसे स्वंय सेवी संगठन का गठन किया जाना चाहिए जो निःस्वार्थ भाव से बिना किसी जाति, धर्म व भेदभाव के समान रूप से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए निशदिनरत प्रयत्नशील एवं जागरूक रहे। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र से आये हुए बुद्धिजीवियों व अनुभवी क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम 'मानव कल्याण सेवा समिति' रखा गया। वर्ष 1980 से ले कर तादिन समिति ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान हेतु अनेकों प्रकार के विकासात्मक कार्य करती आ रही है। इस समिति को दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 को सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के तहत पंजीकृत करवाकर वैधानिक रूप दिया गया। इसके पश्चात् समिति जनहित में अनेकों प्रकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का सफल एवं परिणामजनक संचालन करती आ रही है और निशदिन ग्रामीण विकास एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित भावना से जन कल्याण के कार्यों को मूर्त रूप देती आ रही है।

दलित वर्ग के उत्थान हेतु विशेष व सराहनीय प्रयत्न के लिए वर्ष 1991-92 में समिति के निदेशक श्री केशव राम लोदटा को तत्कालीन महामहीम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री विरेन्द्र वर्मा जी द्वारा सम्मनित किया गया है। समिति के सभी सदस्यों को समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है तथा सभी सदस्य निःस्वार्थ, निष्काम एवं समर्पित भावना से समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हैं।

समिति के उद्देश्य :

समिति का गठन ग्रामीण विकास, निःसहाय महिलाओं, गरीबों, बाल कल्याण, अनुसूचित जाति/जन जाति, अल्पसंख्यकों, वृद्धों तथा विस्थापित लोगों को सहायता पहुचाने तथा उनके सर्वांगिण विकास व युवाओं तथा युवतियों को नशीले पदार्थों व नशीली दवाईयों के सेवन के हानियों के बारे में जागरूक करना तथा नशीली दवाईयों की डिमांड को निर्मूल करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा स्वास्थय जिसमें जल जनित रोगों से बचाव, स्वच्छता, शौचालय निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण तथा प्राकृतिक आपदओं से निपटने हेतु जागरूकता प्रसार शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना व जल संरक्षण तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्धता भी समिति का विशेष उद्देश्य है, क्यों कि भविष्य में ऐसा वक्त आने वाला है जब भूमि सिंचाई की तो दूर की बात होगी, पेयजल की बूंद - बूंद के लिए मानव को तरसना पड़ेगा। इस क्षेत्र में भोगौलिक स्थिति अनुसार पानी या तो प्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त होता है या फिर बारिश के रूप में। लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण पानी के प्राकृतिक स्त्रोत भी पूर्णतः सूखने के कगार पर है। यदि कभी - कभार बारिश होती भी है तो वह जल व्यर्थ में नालों में बह जाता है। समिति का जल संरक्षण में उद्देश्य रहता है कि बारिश के पानी को भी व्यर्थ बहने से रोक कर संग्रहित किया जाए ताकि पानी रिसाव व सनाव ज़मीन में बना रहे और हमारे जल के प्राकृतिक स्त्रोत भी जीवित रहे। सभी जानकार लोगों का कहना है कि यदि एक और विश्व महायुद्ध होता है तो सिर्फ पानी के लिए ही होगा। इसका समाधान केवल पानी का संरक्षण करना व सुगम उपलब्धता पर निर्भर होगा।

परियोजना के चयन एवं कार्यान्वयन हेतू अपनाई जाने वाली कार्यशैली :

समिति द्वारा जिला शिमला के विकास खण्ड चौपाल, कुपवी व ठियोग तथा उतराखण्ड के विकास नगर तथा मण्डी जिला के करसोग में अनेकों प्रकार के जन्न कल्याणकारी तथा लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। विकास खण्ड चौपाल का समूचा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आज भी मुंह बाये व विकराल रूप धारण किये बरकरार है। विकास खण्ड चौपाल के क्षेत्रवासियों को विशेषकर दूर - दराज़ के ईलाके के लोगों को समिति से अपने स्तर पर से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करवाने की उम्मीद होती है। लिहाज़ा वे अपनी समस्याओं को स्थानीय संगठनों जैसे स्वंय सहायता समूह, महिला मण्डल व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से समाधान के लिए समिति के सामने पेश करते हैं।

समिति इस बारे गहन विचार विमर्श करती है और उस क्षेत्र में समिति का एक दल भेज कर वस्तुस्थिति से रूबरू होने के लिए एवं सर्वे करने के लिए भेजती है तथा ग्रामवासियों के साथ बैठकें कर उनकी समस्यओं के समाधान के लिए और तथाकथित समस्या का समाधान खोजने के लिए योजनाएं बनाती है और ऐसी समस्या का समाधान ऐसी योजना के माध्यम से खोजती है जो अधिक लाभप्रद साबित हो सके और ग्रामीणों की समस्या का समाधान एक चिरस्थायी (Sustainable) समाधान के तौर पर हो सके। तत्पश्चात् सर्वेक्षक दल योजना को समिति की कार्यकारिणी के बैठक में प्रस्तुत करता है जिसे बाद गहन विचार - विमर्श के समिति की कार्यकारिणी योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार कर प्रस्ताव पारित करती है तथा सरकारी, अर्धसरकारी व गैर-सरकारी वित्तप्रदायी संस्थानों को आर्थिक सहायता के निवेदन सहित प्रेषित करती है।

समिति सभी प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित समुदायों की उप-समितियां गठित करती है और सभी स्थानीय संगठनों जैसे महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्वंय सहायता समूह एवं अन्य स्थानीय संगठनो का सहयोग लेती हैं और इन उप-समितियों में लाभार्थियों का भी प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाता है ताकि योजना का कार्यान्वयन उचित, कारगर एवं चिरस्थायी प्रकार से हो सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें तथा योजना का प्रभाव समुदाय पर चिरस्थायी प्रकार से पड़ सके तथा समुदाय की समस्या का समाधान भी चिरस्थायी भाव से सम्भव हो सके।

समिति ने वर्ष 1988 से लेकर जन सहभागिता से और आवश्यकता के आधार पर जिन-जिन योजनाओं को प्राथमिकता दी, उनके परिणाम लाभदायक रहे हैं। योजना के तहत जिन परिसम्पत्तियों (Assets) का निर्माण किया गया जैसे कि पेयजल भण्डारण टैंक, लघु सिंचाई के टैंक, वर्षा के पानी के संग्रह हेतु तालाब एवं पानी के चश्मे वे बावड़ियां आदि हैं, उनकी देखभाल लाभार्थी लोगों द्वारा स्वंय की जा रही है और आज निर्माण के 18 वर्षों बाद भी सभी परिसम्पत्तियां लोगों को लाभ पहुंचा रही है। क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनाधिकारी जैसे उप-मण्डलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी जब क्षेत्र के दौरा पर जाते हैं तो समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना किए बिना नहीं रहते और विकास के कार्यों में लगी ईकाईयों के इस संस्था के द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण देते हैं। इस कारण संस्था के काम करने का मनोबल और भी सुदृढ़ हो जाता है और संस्था के सभी कार्यकर्ता व सदस्य गण और भी अधिक कारगर एवं चिरस्थायी विधि से समाज के विकासात्मक कार्य को अंजाम देने की चेष्ठा करते हैं।

वर्ष 2019-2020 में समिति द्वारा किये गए कार्य की प्रगति प्रतिवेदना :

1. वृद्धाश्रम (Old Age Home)

समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रहे रह वृद्धजन

मानव कल्याण सेवा समिति वर्ष 2018 से ऐसे वृद्धों के लिए जिनकी देखभाकल करने वाला कोई नहीं है, वृद्धाश्रम का संलालन कर रही है। इससे पूर्व वर्ष 2011 - 2012 से 31 मार्च 2018 तक समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वित्तपोषण से 50 वृद्धजनों के लिए बहुद्देशीय सेवा केन्द्र (Multi Service Center for Senior Citizes) चला रही थी। वर्ष 2018-2019 से समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वितिय सहायता से वृद्धाश्रम का संचालन कर रही है जिसमें 25 वृद्धजन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वृद्धाश्रम में सभी वृद्धजनों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है जैसे प्रत्येक कमरे में उनके मनोरंजन के लिए टेलीविज़न उपलब्ध है, सभी कमरें में वृद्धों की सुविधा के लिए स्नानागार व शौचालय उपलब्ध है तथा वृद्धाश्रम के सामने वृद्धों की सुविधा के लिए पार्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वृद्धजनों के लिए मौसमानुकूल वस्त्र समय-समय पर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा दिनचर्या में काम आने वाली सारी सामग्री

निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वृद्धजनों के स्वास्थ्य

के ध्यान रखने के लिए वृद्धाश्रम में एक नर्स की तैनाती की गई है इसके अतिरिक्त वृद्धजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच वृद्धाश्रम में तैनात चिकित्सक द्वारा की जाती है। वर्ष 2019-2020 में समिति द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे 8 वृद्धजनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया गया। इस वर्ष 2 वृद्धजन जिनको सिविल अस्पताल चौपाल से रैफर किया गया था उनका इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला में उपचार करवाया गया।

वृद्धाश्रम में कार्यरत नर्स वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच करते हुए

वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए वृद्धजनों के संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है जिसमे लिए वृद्धाश्रम में निपुण रसोइया उपलबध है। वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम में अंडा, मौसमी फलों व सब्ज़ियों के अतिरिक्त दलिया, कॉर्नफलैक्स तथा पौष्टिक आहार की सम्पूर्ण व्यवस्था है। वृद्धाश्रम में एक आहार विवरणिका मौजूद है जिसके अनुसार वृद्धजनों के लिए नाश्ता, दिन के भोजन तथा रात्रिभोज की व्यवस्था की जाती है तथा सुबह, दिन व सायंकालीन चाय के साथ स्नैक्स दिये जाते हैं। वृद्धाश्रम में कुल 8 लोग कार्यरत है जो रात-दिन वृद्धजनों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। वृद्धाश्रम में आगजनी से बचाव के लिए वांछित प्रबन्ध किए गए हैं तथा प्रत्येक कमरे में सी.सी. टी.वी. कैमरे भी लगाए गए हैं। वैश्विक माहमारी कोरोना के चलते हुए भी वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों के बचाव हेतु भी सभी ज़रूरी प्रबन्ध किए गए। वृद्धाश्रम में मास्क तथा सेनिटाईज़र का उचित प्रबन्ध किया गया।

वृद्धाश्रम लाभार्थी मोतियाबिंद ऑपरेशन

वृद्धजनों के साथ अपनी खुशियां सांझा करने के लिए आगन्तुक वृद्धाश्रम आते रहते हैं तथा यहां पर वृद्धजनों के साथ अपने तथा अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तथा वृद्धजनों

का आशिर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके लिए आगन्तुक अग्रिम रूप से यहां आने के लिए आवेदन करते हैं तथा समिति के प्रबन्धन के स्वीकृति के पश्चात् ही वे अपनी योजना अनुसार वृद्धाश्रम में आकर वृद्धजनों को फल व मिठाईयां आदि बांटते हैं तथा अपनी खुशियां सांझाा करते हैं। इससे वृद्धजन भी उनकी खुशियों में शामिल होते हैं तथा उनका जीवन भी उमंग से भर जाता है।

वृद्धजनों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक श्री बलबीर वर्मा जी

दिनांक 25.06.2019 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मन्त्रालय भारत सरकार की Regional Resource & Training Center Delhi से श्री अरूण कुमार जी द्वारा वृद्धाश्रम का औचिक निरिक्षण किया गया। मन्त्रालय के वित्तिाय सहयोग से समिति द्वारा वृद्धाश्रम में उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को तथा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के लिए उपलब्ध व्यवस्था देखकर श्री अरूण कुमार जी ने समिति की प्रशंसा की। श्री अरूण कुमार जी ने वृद्धाश्रम में रह रहे प्रत्येक लाभार्थी से उनको दी जाने वाली सुविधाओं तथा सेवाओं के बारे में बात की तथा वृद्धाश्रम में साफ-सफाई के लिए वृद्धाश्रम के स्टाफ की प्रशंसा की।

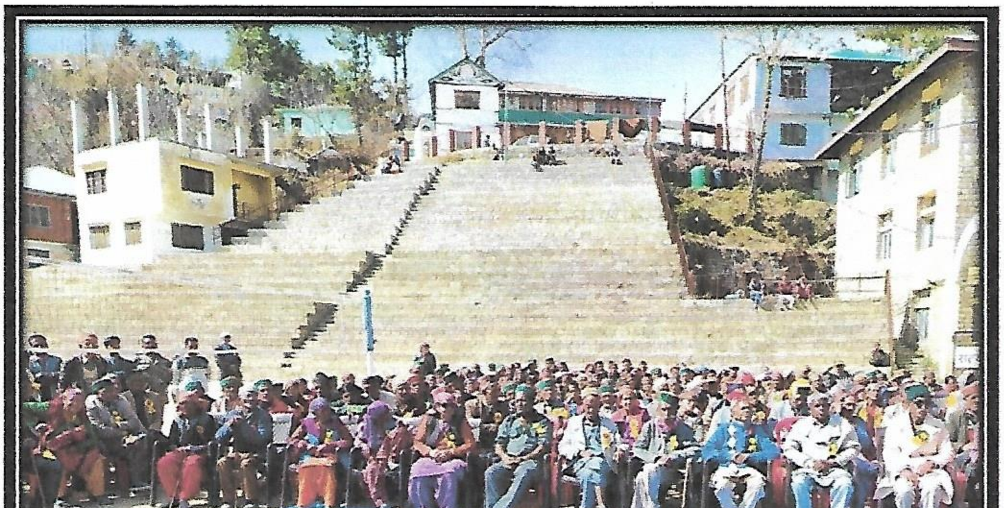

वृद्धजनों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेते वृद्धजन

दिनांक 06.07.2019 को जिला कल्याण अधिकारी श्री हाकम चन्द ठाकुर तथा तहसील कल्याण अधिकारी श्री सुरेन्द्र बिमटा द्वारा वृद्धाश्रम का संयुक्त निरिक्षण

किया गया तथा वृद्धजनों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का निरिक्षण किया।

दिनांक 16.02.2020 को वृद्धजनों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन तहसील प्रांगण चौपाल में किया गया जिसमें श्री बलबीर सिंह वर्मा जी माननीय विधायक चौपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिमला के जिला कल्याण अधिकारी श्री हाकम सिंह चौहान ने की। तहसील कल्याण अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बिम्टा भी जिला कल्याण अधिकारी के साथ मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जहां वृद्धाश्रम के लाभार्थियों ने संगीत एवं नृत्य में भाग लिया वहां चौपाल के विधायक श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने भी लाभार्थियों के साथ नृत्य किया एवं वृद्धजनों की खुशियों को द्विगिणित किया और वृद्धजनों के साथ अपनी खुशियों को भी सांझा किया जिससे कार्यक्रम की शोभा में चार चॉद लग गए। वैसे तो चौपाल के तहसील प्रांगण में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं परन्तु वृद्धजनों के लिए किया गया यह मनोरंजन कार्यक्रम एकदम अनूठा व प्रशंसनीय रहा, मनोरंजन कार्यक्रम में सम्मिलित बहुत से युवा एवं वृद्ध लोगों की जुबान से यह सुनने को मिला।

समिति ने इस कार्यक्रम के दौरान 500 वृद्धजनों को हैल्पऐज इण्डिया द्वारा उपहार स्वरूप उपलब्ध करवाए गए 500 कम्बल 500 वृद्धजनों को वितरित किए गए जिससे कार्यक्रम और भी सुशोभित हो गया। उपहार स्वरूप उपलब्ध कम्बलों का वितरण मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला कल्याण अधिकारी के कर कमलों द्वारा किया गयां उल्लेखनीय है कि उपरोक्त 500 वृद्धजन मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा गठित वृद्धजनों के समूहों के सदस्य हैं जो कि हैल्पऐज इण्डिया के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत गत 5 वर्षों में गठित किए हैं।

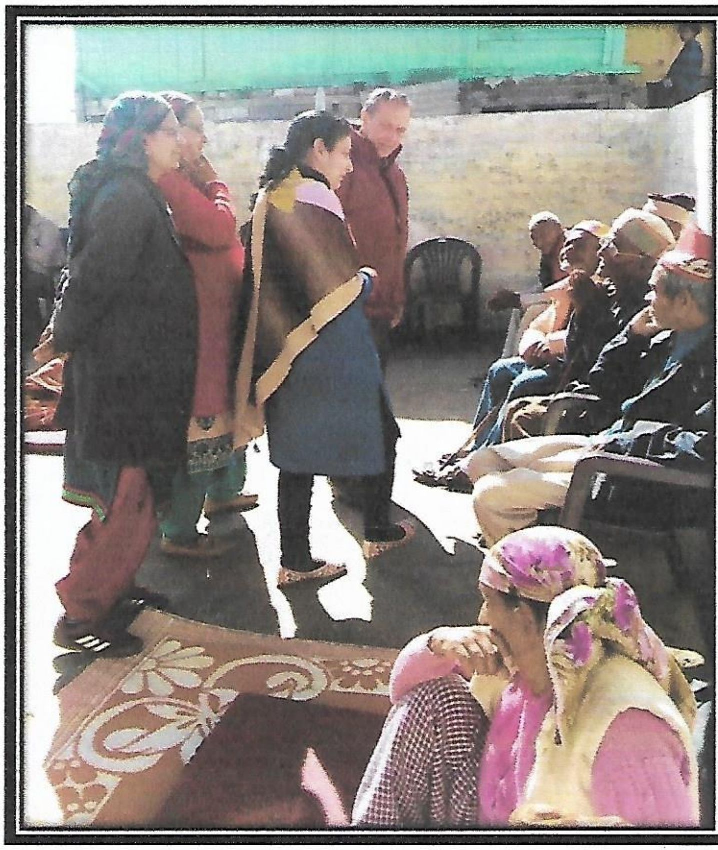

वृद्धाश्रम के निरिक्षण के दौरान लाभार्थियों के बात-चीत करती सुश्री कनिका चावला Additional Chief Judicial Magistrate–cum–Secretary District Legal Services Aauthorities Shimla

वृद्धाश्रम के लाभार्थियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम की इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कड़ी ने स्थान लिया जब 14 वृद्धजनों को दिनांक 18 से 20 फरवरी 2020 तक हरिद्वार तीन दिन के भ्रमण के लिए ले जाया गया। वृद्धजनों ने भ्रमण तथा गंगा स्नान का आनंद लिया।

माननीय विधायक चौपाल क्षेत्र श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने मनोरंजन कार्यक्रम में शिरकरत करने से पूर्व समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम का दौरा भी किया तथा प्रत्येक वृद्धजन से बात की। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने

वृद्धाश्रम के प्रबन्धन तथा वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की सेवा में रात-दिन तत्पर वृद्धाश्रम के स्टॉफ की भूरी-भूरी प्रशंसा की। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की मैस के लिए मु0 50,000/- रूपये देने की घोषणा की।

श्री बलबीर सिंह वर्मा जी, माननीय विधायक चौपाल वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की सेवा तथा संस्था द्वारा किए गए प्रबन्ध से काफी प्रभावित हुए तथा उन्होंने मनोरंजन कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण में यह घोषणा की कि इस मृत्युमण्डल में यदि कोई परमात्मा की सच्ची सेवा है तो वह मानव की सेवा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वृद्धाश्रम के लिए भवन निर्माण हेतु वांछित व उचित धनराशि स्वीकृत करें और भूमि चयन के लिए मैं स्वंय प्रयत्न करूंगा।

दिनांक 14.03.2020 को सिविल जज चौपाल श्री विवेक कायस्थ जी द्वारा वृद्धाश्रम का दौरा किया गया। उन्होंने वृद्धजनों से बातचीत की तथा वृद्धाश्रम में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का निरिक्षण किया तथा सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मन्त्राल्य के सहयोग से समिति द्वारा चलाए जा रहे इस वृद्धाश्रम की प्रशंसा की तथा वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों के स्वाथ्य कल्याण हेतु मु0 11,000/- रूपये की राशि दानस्वरूप भेंट की। **हमारी जानकारी के मुताबिक यह एक ऐसा वाक्या है कि कोई अधिकारी निरिक्षण करने आए और अनुदानित संस्था द्वारा किए गए प्रबन्धों से प्रभावित होकर एक निशिचित राशि दानस्वरूप भेंट करें। इस वाक्या से संस्था के सभी सदस्यों एवं वृद्धाश्रम में कार्यकरत सभी कार्यकताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है।**

दिनांक 16.03.2020 को Additional Chief Judicial Magistrate – cum – Secretary District Legal Services Aauthorities Shimla सुश्री कनिका चावला ने उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर वृद्धाश्रम का निरिक्षण किया। सुश्री कनिका चावला ने वृद्धाश्रम में रह रहे प्रत्येक लाभार्थी से बात की तथा वृद्धजनों को उपलब्ध करवाई जा रही मूलभूत सुविधाओं की प्रशंसा की।

इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन समय-समय पर समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम का निरिक्षण करता रहता है तथा सभी आगन्तुक समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम की प्रशंसा करते हैं तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय को इस कार्यक्रम के लिए वित्तिय सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

2. राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम (National Creche Scheme) :

समिति राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के वित्तिय सहयोग से विकास खण्ड चौपाल की विभिन्न दुर्गम पंचायतों में कुल 20 पालनाघर केन्द्रों का संचालन कर रही है। पालनाघर केन्द्र की जगह का चयन वहां के स्थानीय लोगों व ग्राम पंचायत की सहमति से किया गया है तथा पालनाघर केन्द्र में कार्यकर्ता व सहायकिा की नियुक्ति भी स्थानीय लोगों व ग्राम पंचायत की सहमति से ही की गई है। केन्द्रीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय की की इस कल्याणकारी योजना से 20 पालनाघर केन्द्रों में 0 से 3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 442 बालक/बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा उन्हें पाठशाला पूर्व शिक्षा के साथ – साथ अनुपूरक पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालनाघर केन्द्रों में लाभान्वित

हो रहे बालक/बालिकाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच अनुभवी चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता से करवाई जा रही हैं और उन्हें पल्स पोलियो प्रतिरक्षक खुराक आदि सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष जनवरी माह के 19 तारीख को बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण खुराक पिलाई गई। प्रत्येक पालनाघर केन्द्र में दो-दो बाल सेविकाएं (1 कार्यकर्ता तथा 1 सहायिका) की नियुक्ति की गई है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार की इस योजना से 40 ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके गांव में कार्यकर्ता व सहायिका के रूप में रोज़गार उललब्ध हो रहा हे। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय व राज्य सरकार के इस कदम से राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम का संचालन और अधिक कारगर व सुव्यवस्थित विधि से चलाना सम्भव हुआ है तथा बालसेविकाएं व बच्चों के अभिभावक अधिक रूची ले रहे है। समाज के पिछड़ा व वंचित वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम से विशेषकर एवं वास्तविक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार के इस अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम को प्रशंसा मिलना स्वभाविक है।

समिति द्वारा संचालित पालनाघर केन्द्र में पौष्टिक आहर लेते हुए लाभार्थी बालक/बालिकाएं

दिनांक 16.06.2019 से 30.06.2019 तक श्री अनिल कुमार, ए.पी.ओ. समाज कल्याण बोर्ड द्वारा समिति द्वारा चलाए जा रहे सभी 20 पालनाघर केन्द्रों का निरिक्षण किया गया।

समिति उपरोक्त योजना का संचालन विकास खण्ड चौपाल में वर्ष 1991-92 से करती आ रही है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पालनाघर केन्द्रों का

समिति द्वारा संचालित पालनाघर केन्द्र का निरिक्षण करते हुए समिति के निदेशक

संचालन उन्हीं पिछड़े गांवों में किया जा रहा है जहां से आंगनबाड़ी केन्द्र डेढ़ या दो कि0मी0 की दूरी पर हैं। इस योजना की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की है तथा यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की रूग्ण एवं कामकाजी महिलाओं के लिए व उनके बालक-बालिकाओं के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है।

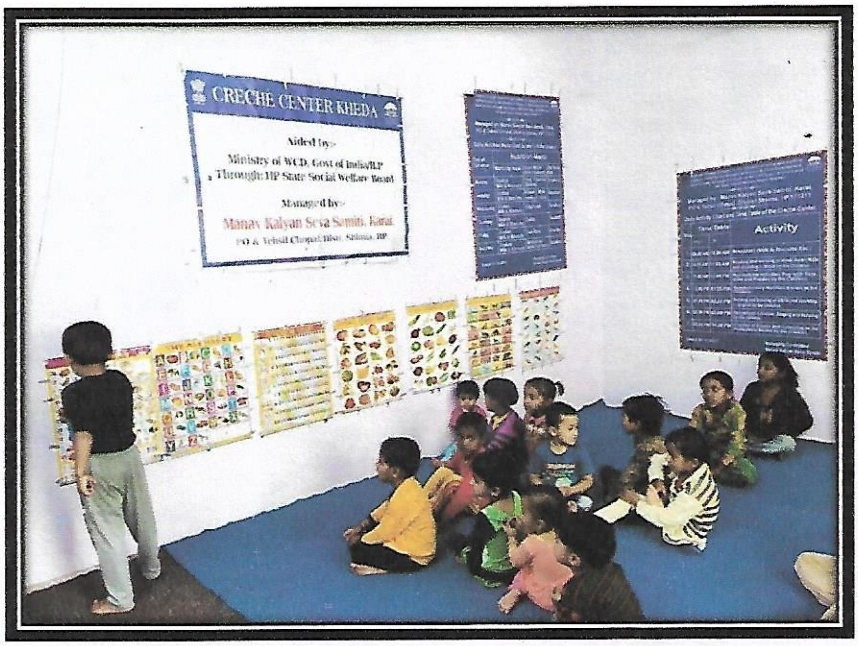

पालनाघर केन्द्र मे स्कूल पूर्व शिक्षा का अभ्यास करते लाभार्थी बालक/बालिकाएं

इस कार्यक्रम के संचालन में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक केन्द्र में 14 नवम्बर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी 14 नवम्बर बाल दिवस के रूप में प्रत्येक पालनाघर केन्द्र में प्रशंसनीय प्रकार से आयोजित किया गया। पालनाघर केन्द्र सुचारू रूप से चले, इसके संचालन के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है। समीप के विद्यालय के प्राध्यापक तथा दो स्थानीय कामकाजी महिलाएं जिनके बच्चे सम्बन्धित पालनाघर केन्द्र के लाभार्थी हों, इस उप समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। यह भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि डेढ़ से दो किलो मीटर की दूरी के भीतर कोई आंगनवाड़ी या दूसरा कोई समकक्ष केन्द्र न चल रहा हो जो इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा हो। प्रत्येक पालनाघर केन्द्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए गठित उप समिति की 12 बैठकें हुई। बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को सुचनार्थ प्रेषित किया गया। समाज कल्याण बोर्ड के सहायक परियोजना अधिकारी ने समिति द्वारा संचालित 20 पालनाघर केन्द्रों को निरिक्षण किया तथा समिति द्वारा चलाए जा रहे पालनाघर केन्द्रों की व्यवस्था पर

सन्तोष ज़ाहिर किया।

समिति द्वारा संचालित पालनाघर केन्द्र खेलते करते हुए लाभार्थी

3. दलित वर्ग कार्यक्रम :

समिति ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम द्वारा अनुदानित इस अति लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ऐसे लाभार्थियों के लिए किया जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अति असहाय तथा अति निर्धन परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करना है।

दिनांक 08.07.2020 को जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम शिमला द्वारा समिति द्वारा चलाए जा रहे दलित वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरिक्षण किया गया।

समिति इस कार्यक्रम का संचालन विगत कई वर्षों से लगातार करती आ रही है। वर्ष 2019-2020 में भी उपरोक्त निगम द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत देईया-दोची में प्रशिक्षार्थियों को सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2019-2020 में 5 लोगों को ड्रैस व डिज़ाईनिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हें अपना रोज़गार संचालन के लिए हि0प्र0 अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम व बैंक के सहयोग से मु0 50,000/- से 1,00,000/- रूपये का सुगम ऋण उपलब्ध कराया गया।

4. वृद्ध लोगों की सेवा व देखभाल हेतु बच्चों को संस्कारित करना (Sensitization of School & College Students) :

समिति क्षेत्र की आगामी पीढ़ी व देश के भावी बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए व उनमें उच्च कोटी के संस्कार एवं वृद्धजनों के पालन-पोषण एवं उनकी देखभाल हेतु उनके आचार व्यवहार में तबदीली लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्कूलों व कॉलेजों में पिछले 3 वर्षों से समिति निज़ी साधनों से कर रही है। इस उद्देश्य से समिति ने स्कूली बच्चों व कॉलेज के बच्चों के लिए 24 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जिनके द्वारा उनमें बुजुर्गों के प्रति आदर, व सेवा का भाव जागृत करने का प्रयत्न किया गया और घर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया गया। समिति ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देईया, मालत, कुवपी, गुम्मा, बौहर, पुलबालह, सरी, गुम्मा, चौपाल, सरॉह, धबास तथा डिग्री कॉलेज नेरवा, चौपाल व सरस्वती नगर में इन शिविरों का सफल आयोजन किया जिसमें सैंकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का असर बच्चों में वृद्धों की देखभाल करने हेतु उनके बदले हुए व्यवहार व संस्कार से देखने में मिला। युवक एवं युवतियां अब भली-भांति अपने वृद्धजनों (माता-पिता व दादा-दादी) की भली-भांति सेवा सुश्रुषा करते नज़र आते हैं जिससे इस कार्यक्रम की सफलता का संकेत मिलता है। हालांकि पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे समाज की युवा पीढ़ी को वांछित संस्कार में ढालना एक अत्यन्त कठिन कार्य है फिर भी लगातार प्रयत्नों से अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है।

5. मोबाईल मेडिकेयर युनिट (Mobile Medicare Unit) :

MMU "घर-द्वार पर वृद्धजनों की स्वास्थ्य जॉच इकाई"

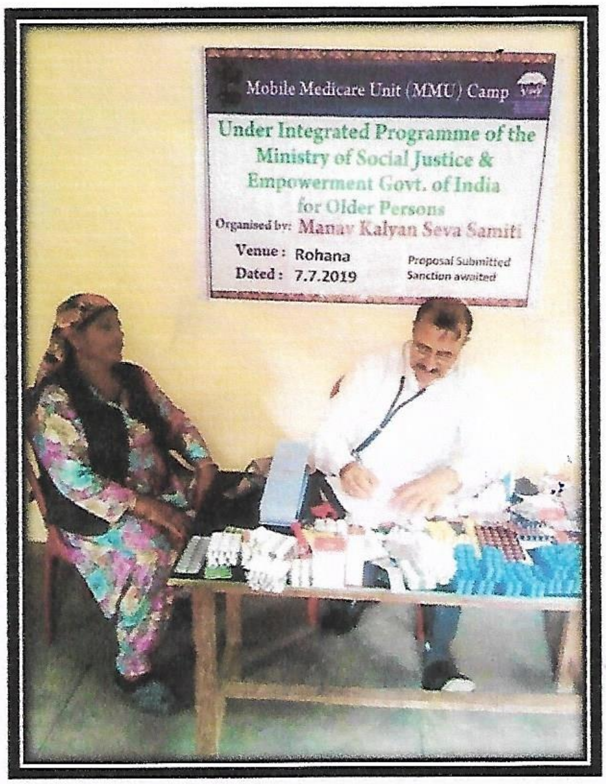

समिति द्वारा संचालित मोबाईल मेडिकेयर युनिट कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी की स्वास्थ्य जांच व उपचार करते चिकित्सक

मानव कल्याण सेवा समिति के मुख्य उद्देश्यों में वृद्धजनों (वरिष्ठ नागरिकों) की सेवा, उत्तम स्वास्थ्य देखभाल/जांच, सुलभ उपचार तथा बढ़ती आयु के साथ लगने वाले रोगों से बचाव, खान-पान बारे जागरूकता व कौंसलिंग एक महत्त्वपूर्ण व प्रमुख भाग है। इसी उद्देश्य को मध्यमज़र रखते हुए समिति वर्ष 2015-2016 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाईल मेडिकेयर युनिट (MMU) का संचालन निज़ी साधनों से करती रही है। वर्ष 2019-2020 में भी समिति ने विकास खण्ड चौपाल की 12 ग्राम पंचायतों में ऐसे स्थानों का चयन किया जहां सुगमता से 2 या 3 पंचायतों के वृद्धजन सुगमता से शिविर में भाग ले सकते हैं। इस 12 शिविरों से 2,480 वृद्धजनों (महिलाओं व पुरूषों) ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।

इस कार्यक्रम की सर्वत्र प्रशंसा की हुई और सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर मन्त्रालय को इस सिफारिश के साथ भेजा कि वर्ष 2020-2021 के लिए भी इस कार्यक्रम को ज़ारी रखने के लिए संस्था के निवेदन को स्वीकृति प्रदान करें ताकि इस पिछड़े, दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों के वृद्धजन जहॉ आवागमन के साधन न के बराबर हैं, भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। विकास खण्ड चौपाल, कुपवी व विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला का समस्त क्षेत्र पहाड़ी व दुर्गम हैं। यहां पर आवागमन के साधनों की भारी कठिनाई है। विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत किरन, टेलर व बौहर ऐसा क्षेत्र है जहां के लोगों को बस सुविधा प्राप्त करने के लिए कम से कम 45 से 50 किलो मीटर पैदल चल कर आना पड़ता है। इस स्थिति में बिमार बुजुर्गों को कुर्सी/पालकी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। बहुत बार ऐसी घटनाएं भी घट चुकी है कि अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः इस

अत्यन्त लाभकारी कार्यक्रम की इस क्षेत्र में नितान्त आवश्यकता है। उपरोक्त शिविरों के आयोजन के दौरान समिति ने औषधियों का मूल्य एवं चिकित्सक का मानदेय निज़ि साधनों से वहन किया है।

6. <u>Drug demand Reduction among adolescents :</u>

आज के युग में नशे का प्रचलन युवाओं के मध्य इस प्रकार बढ़ रहा है कि इसने आज के युवाओं को तथा समाज को खोखला कर दिया है। युवाओं को इस बात का इल्म तक नहीं है कि नशे की ये लत उनकी जिन्दगी तबाह कर देगी। समिति ने युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ष 2019-2020 में 12 शिविरों का अयोजन किया जिसमें 600 किशोर/किशोरियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया तथा नशे से होने वाले सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक नुकसान के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त किशोर/किशोरियों के अभिभावकों के साथ भी बैठकें की गई तथा उनसे कहा गया कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें कि उनके बच्चे कहीं नशे की राह पर न चल रहे हों। समिति ने उपरोक्त शिविरों के आयोजन का व्यय भर निज़ि साधनों से वहन किया है हालांकि वर्ष 2019-2020 के लिए इस कार्यक्रम के संचालन हेतु समिति को National Institution of Social Defense, R.K. Puram New Delhi से स्वीकृति हाल में ही उपलब्ध हो गई है। वर्ष 2020-21 में स्वीकृत राशि को NISD के निर्देशानुसार Drug Demand Reduction योजना को पूर्ण रूप से निश्चित अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा और स्वीकृत राशि का समयबद्ध तरीके से स्वीकृति के निर्देशों का पालन करते हुए उपयोग किया जाएगा जिससे अच्छे व चिरस्थायी परिणाम आने की आशा है। अच्छे परिणाम लाने के लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा।

<u>अन्य गतिविधियां :</u>

- समिति जिला सिरमौर के पॉवटा साहिब में क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए तहसील मुख्यालय पॉवटा में 25 वृद्धजनों के लिए एक वृद्धाश्रम का संचालन करने का प्रारूप तैयार किया है। स्थानीय प्रशासन तथा जनता द्वारा समिति के इस प्रयास की सराहना की गई है। समिति ने वृद्धाश्रम के संचालन के लिए भवन का चयन कर लिया गया है तथा 25 से अधिक वृद्धजनों के वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए आवेदन भी आ चुके हैं। समिति द्वारा वृद्धाश्रम के संचालन के लिए मन्त्रालय की स्वीकृति हेतु सभी दस्तावेज़ तथा औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई है परन्तु कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने के उददेश्य से केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के कारण भवन के किराये का अनुबन्ध सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित नहीं करवा पाई और न ही पात्र वृद्धजनो को कर्फ्यू की वजह से वृद्धाश्राम तक लाया जा सका कारणवश समिति इस वर्ष अपने प्रयासों को अन्तिम स्वरूप देने के बावजूद भी अमलीजामा नहीं पहना सकी। वर्ष 2020-2021 में समिति वृद्धाश्रम के संचालन हेतु अनुदान प्राप्ति के लिए सभी दस्तावेज़ मन्त्रालय को ऑनलाईन प्रेषित करेगी और आशा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय वृद्धजनों के कल्याण को मध्यनज़र रखते हुए अनुदान की स्वीकृति प्रदान करेगा।

वर्ष 2020-2021 के लिए प्रस्तावित योजनाएं :

समिति वर्ष 2020-2021 के दौरान उपरोक्त सभी योजनाएं वित्तप्रदायी संस्थानों के सहयोग से ज़ारी रखने का भरसक प्रयत्न करेगी व विभिन्न अनुदान प्रदायी संस्थानों को विकासात्मक व कल्याणकारी योजनओं के संचालन हेतू अनुदान स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करेगी जिनमें से मुख्य योजनाएं निम्नलिखित है:

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार के वित्तपोषण से जिला सिरमौर के केन्द्रबिन्दु पॉवटा साहिब में वृद्धाश्रम का संचालन करना।
2. युवा पिढ़ी में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को रोकने हेतु तथा किशोर/किशोरियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने हेतु कार्य करना। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु National Institution of Social Defense, R.K. Puram New Delhi से वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
3. निर्धन एवं बेरोज़गार युवकों व युवतियों के लिए आय वर्धक व्यवसाय में में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन करना। इसके लिए नाबार्ड के राज्य कार्यालय शिमला से निवेदन किया जाना प्रस्तावित है।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत स्वंय सहायता समूहों का गठन करना व बैंक से लिंकेज कर सरकार की सूक्षण ऋण योजना व National Rural Livelihood Mission के अंतर्गत उप अनुदान उपलब्ध करवाना व स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण तथा उनकी कार्य करने की क्षमता वर्धन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।
5. पिछडे व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में Roof top Rain Water Harvesting योजना का संचालन करना।
6. जल संग्रहण के लिए वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों का निर्माण करना। इस योजना के तहत जंगल, चरागाहों आदि में तालाब खुदवाने की योजना है ताकि वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके जो सूखाग्रस्त स्थिति में भूमि की सिंचाई के काम एवं पशुओं के पीने आदि के प्रयोजन में सार्थक हो।
7. AIDS, TB, मलेरिया व जलजनित रोगों की रोकथाम विषय बारे जागरूकता शिविरों एवं नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रयास करना।
8. Finnovation के सहयोग से CSR योजना के अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजना तथा स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका उपार्जन योजना का संचालन करना।

MKSS

(केशव राम लोदटा)
निदेशक